



## ● बीआरकेजीबी सुलभ ऋण योजना

1	पात्रता	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/बैंक/वित्तीय संस्थाओं/अर्द्धशहरी, शहरी निगमों/निकायों के नियमित कर्मचारी/शैक्षणिक संस्थाओं/प्रख्यात औद्योगिक संस्थाओं में सेवारत कर्मचारी/व्यावसायिक स्वरोजगारी (वकील, प्राइवेट डॉक्टर, चार्टर अकाउन्टेन्ट/इंजिनियर/आरकीटेक्चर आदि।
2	ऋण का उद्देश्य	विधि द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी कार्यों हेतु।
3	ऋण सीमा	<ol style="list-style-type: none"><li>1. कुल मासिक वेतन का 18 गुना अधिकतम – ₹ 8.00 लाख</li><li>2. वर्तमान कुल कटौतिया + प्रस्तावित ऋण की किश्तों का योग मासिक वेतन के 60%से अधिक नहीं होना चाहिए। ऋण सीमा ₹ 5.00 लाख से अधिक होने पर वर्तमान कुल कटौतिया प्रस्तावित ऋण की किश्तों का योग मासिक वेतन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।</li><li>3. गैर वेतन भोगी आवेदकों द्वारा आयकर रिटर्न में दर्शायी गयी शुद्ध आय (आयकर घटाने के बाद) की आय का ढाई गुना तक।</li></ol>
4	ब्याज दर	समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार
5	पुर्नभुगतान अवधि	अधिकतम 60 समान मासिक किश्तों में (EMI)